कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य,मध्यप्रदेश

59 आदि भवन अरेरा हिल्स

क्रमांक/शिक्षा स्था-3/739-ए /2026/ भोपाल, दिनांक-

माध्यमिक शिक्षक नियोजन(विषयमान से)वर्ष 2026
चयनित आवेदकों के लिये निर्देशिका

1. मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती), भर्ती नियम, 2018 तथा इस नियम में समय-समय पर किये गये संशोधन (इसे आगे 'भर्ती नियम, 2018 उल्लेखित किया गया है) में उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत कर्मचारी चयन मंडल मध्यप्रदेश भोपाल, के द्वारा माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, वर्ष 2024 में आयोजित की गई । चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड, सत्यापन एवं विकल्प चयन की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है।
2. विषयवार एवं प्रवर्गवार रिक्तियों-कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन अनुसार
3. उपरोक्त प्रक्रिया में शैक्षणिक / व्यवसायिक योग्यता, आयुसीमा, आरक्षण, निरर्हताएं इत्यादि प्रावधान कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन परीक्षा के विज्ञापन के समय जारी नियम पुस्तिका अनुसार लागू होंगें। (संलग्न -नियम पुस्तिका)
4. अधिनियम/नियम/निर्देश/विभिन्न अधिसूचनाओं तथा इस निर्देशिका के मध्य किसी भी प्रकार का विरोधाभास अथवा अंतर पाये जाने की स्थिति में मूल अधिनियम/नियम/ अधिसूचना /निर्देश ही मान्य होंगे।
5. अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे ऑनलाईन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम/नियम तथा अद्यतन निर्देशों का अध्ययन कर लें । विवरण एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल https://trc.mponline.gov.in पर उपलब्ध हैं।
6. प्रक्रिया शुल्क (Processing Fee) - एम.पी. ऑन लाईन को पोर्टल शुल्क रु 100 (7 दस्तावेज अपलोड सहित) देय होगा । अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की संख्या के अनुसार दस्तावेज अपलोड शुल्क पृथक से 5 रू. प्रति दस्तावेज के मान से देय होगा। यह शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा ।
7. अभ्यर्थी ऑनलाईन प्रक्रिया/तकनीकि समस्या के समाधान के लिये MPOnline के कस्टमर केअर नं. 0755-6720200 पर समय प्रातः 9:30 बजे से सांय 7:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं ।
8. दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन की प्रक्रिया

25/2/26

(8.1) कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को इस निर्देशिका के संलग्न परिशिष्ट 1 अनुसार दस्तावेज https://trc.mponline.gov.in पर निर्धारित समयावधि में अपलोड करने होंगें।

(8.2) दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते है । अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो । एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा । सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के आवंटन का अंतिम अधिकार आयुक्त, जनजातीय कार्य को होगा।

(8.3) इसी चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड उपरांत संभाग का चयन करना होगा । चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाए गए समस्त संभागों को प्राथमिकता क्रम में देना अनिवार्य होगा । तदुपरांत लॉक कर पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा।

(8.4) जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड एवं समस्त संभागों का प्राथमिकता क्रम दर्ज कर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा एवं इसके पश्चात इस संबंध में किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वे मेरिट क्रम के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगें ।

(8.5) संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु सहायक आयुक्त/जिला संयोजक कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा । सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के 02 स्व हस्ताक्षरित सेट साथ लाने होंगें ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगें तथा इसका ऑनलाईन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाईन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी । अभ्यर्थी सत्यापनकर्ता अधिकारी के समक्ष अपनी पहचान हेतु अपना आई.डी यथा आधार कार्ड इत्यादि के साथ उपस्थित होगें । निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अयोग्य माना जाएगा तथा इसके पश्चात किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा । दस्तावेज सत्यापन के उपरांत किसी भी दस्तावेज में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9. अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

(9.1) दिनांक 28/02/2026 तक जारी अंकसूची/उपाधि (शैक्षणिक एवं व्यावसायिक) मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे । इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये ही स्वीकार किये जाऐंगे । यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा।

25/2/26

(9.2) माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित चयन परीक्षा 2024 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में जिन अभ्यर्थियों का चयन अतिथि प्रवर्ग में किया गया है सिर्फ उन्हीं को पात्रता धारित करने पर अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

(9.3) अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र शैक्षणिक सत्र 2025 अप्रैल तक के ही मान्य होगें अर्थात अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में जिन अभ्यर्थियों के तीन सत्र एवं 200 दिवस का अध्यापन अनुभव 30 अप्रैल 2025 तक पूर्ण होगा, उन्हें ही अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा ।

9.3.1 अतिथि शिक्षकों से संबंधित अनुभव प्रमाण-पत्र निम्नानुसार मान्य किया जाना है :-

(1) स्कूल शिक्षा विभाग – जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित । जिला अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र की GSMF पर देखा जा सकता है ।

(2) जनजातीय कार्य विभाग के जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया प्रमाण-पत्र । जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जनजातीय कार्य विभाग के जारीकर्ता अधिकारी से संबंधित के प्रमाणपत्रों का प्रमाणीकरण कराया जाएगा।

9.3.2 यदि अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए उसी शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में उपाधि अर्जित की गई है तो इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जाये:-

9.3.2.1 ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा जिस स्थान से अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है और उस स्थान से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है तो इस अवधि को अनुभव हेतु मान्य नहीं किया जाएगा । उस अवधि को छोड़कर यदि शेष अवधि में न्यूनतम 03 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवस. प्रति सत्र न्यूनतम 30 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थिता मान्य की जायेगी । अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थिता अमान्य की जायेगी ।

9.3.2.2 यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ-साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है और अतिथि शिक्षक के पास उन्ही 03 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का अध्यापन कार्य अनुभव है प्रति सत्र न्यूनतम 30 दिवस हो तो उसे अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा, एवं उसकी अभ्यर्थिता अमान्य की जायेगी।

(9.4) दिनांक 28/02/2026 तक जारी प्रमाण पत्र जिसके द्वारा बोनस अंक प्राप्त हुये है, उन्हे दस्तावेज सत्यापन के दौरान इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति अभ्यर्थिता मान्य नहीं होगी ।

(9.5) दिनांक 28/02/2026 तक जारी दिव्यांग अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसी दिव्यांगता श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिस दिव्यांग श्रेणी में अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उसी श्रेणी में 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांग श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की दिव्यांगता परीक्षण उपरांत ही पात्रता अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करने की कार्यवाही की जायेगी।

(9.6) जिन अभ्यर्थियों द्वारा बोनस अंक प्राप्त किए गए हैं उनका यह दायित्व होगा कि वे उससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें।

(9.7) कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम डेटा में परिवर्तन की अधिकारिता विभाग को नहीं है।

(9.8) अंतिम रूप से अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगें।

10. महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथियां :-

क्रमांक	विवरण	माध्यमिक शिक्षक
1	अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाईल अपडेट करना ,दस्तावेज अपलोड करना, संभाग एवं जिला का विकल्प चयन करना	02/03/2026 से 15/03/2026 तक
2	अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों का जिला एवं संभाग स्तर पर सत्यापन कराना	

विशेष- उपरोक्त तिथि अनुमानित हैं तथा किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकेगी। अभिलेख सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान, दिनांक तथा समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाईल / दूरभाष क्रमांक पर एसएमएस तथा ई-मेल के माध्यम से दी जावेगी। अभ्यर्थी स्वयं का स्टेटस भी https://trc.mponline.gov.in पद पर ऑनलाईन चेक कर सकेगें।

28/02/26

अपर संचालक
जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश